छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक – 182 प्रकरण क्रमांक– **SM-ADV-2023-02048**

आवेदक : छ.ग. रेरा विरूद्ध ''मंजीत स्मार्ट होम्स'' पता–महोदव घाट रोड, रायपुरा, रायपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
15/12/2023	– प्रकरण प्रस्तुत। – अनावेदक द्वारा श्री सन्नी बिन्द्रा उपस्थित। उनके द्वारा लिखित जवाब प्रस्तुत कर मौखिक रूप से अवगत कराया कि उनका प्रोजेक्ट प्राधिकरण में पंजीकृत है। दैनिक भास्कर समाचार पत्र में विज्ञापन दिया गया था उसमें विज्ञापन एजेंसी द्वारा रेरा पंजीयन क्रमांक एवं वेबसाईट उल्लेखित नहीं किया गया। भविष्य में इस प्रकार की भूल नहीं होगी प्रकरण में किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं करने एवं प्रकरण समाप्त करने निवेदन किया गया। अनावेदक भविष्य में दिये जाने वाले प्रोजेक्ट के विज्ञापन में अधिनियमों के प्रावधानों एवं प्राधिकरण के दिशा–निर्देशों का भलीभांति पालन करना सुनिश्चित करे। प्राधिकरण द्वारा रूपये 1,000/– की शास्ति अधिरोपित की जाती है। भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो इसकी चेतावनी दी जाती है। प्रकरण की कार्यवाही समाप्त किया जाता है। प्रकरण नस्तीबद्ध कर अभिलेख कोष्ठ दाखिल किया जावे। सही/– (धनंजय देवांगन) सदस्य सही/– (संजय शुक्ला) अध्यक्ष	